Kamala D. Harris
Attorney General
State of California

संसाधनों सहित Marsy का कार्ड

कैलिफ़ोर्निया संविधान, धारा 1, भाग 28(b) के तहत अपराध पीड़ित व्यक्तियों को कुछ ख़ास अधिकार सौंपे गए हैं। इनमें शामिल हैं:

1. औचित्य और सम्मान
निजता और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उनके साथ उचित और सम्मानपूर्ण बरताव किया जाए, और अपराध- या बाल-न्याय की समूची प्रक्रिया के दौरान वे किसी प्रकार की धमकी, उत्पीड़न, और दुर्व्यवहार से मुक्त हों।

2. प्रतिवादी (मुद्दालेह) से सुरक्षा
प्रतिवादी और प्रतिवादी की ओर से कार्य करने वाले लोगों से उन्हें उचित सुरक्षा दी जाए।

3. ज़मानत और रिहाई की शर्तें तय करते समय पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा का लिहाज़
प्रतिवादी के लिए ज़मानत की राशि तथा रिहाई की शर्तें तय करते समय पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार की सुरक्षा का लिहाज़ किया जाए।

4. गोपनीय जानकारी का खुलासा करने पर रोक
प्रतिवादी, प्रतिवादी के वकील और प्रतिवादी की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी गोपनीय जानकारियों तथा अभिलेखों का खुलासा न किया जाए जिनके आधार पर पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को खोजा या उत्पीड़ित किया जा सके, या जिनसे ऐसे गोपनीय संचारों का खुलासा हो जो चिकित्सकीय या सलाहकारी उपचार के दौरान किए गए थे या जो कानूनी तौर पर प्राधिकृत या गोपनीय माने गए हैं।

5. प्रतिवादी पक्ष को साक्षात्कार देने से इंकार
प्रतिवादी, प्रतिवादी के वकील और प्रतिवादी की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को साक्षात्कार देने, शपथ लेकर बयान देने, या मुकद्दमे की कार्यवाही से पहले सूचना देने के अनुरोध को इंकार किया जा सकता है, और अगर पीड़ित व्यक्ति ने किसी ऐसे साक्षात्कार के लिए मंज़ूरी दी तो इसके संचालन पर यथोचित शर्तें लगाना संभव है।

6. अभियोगपक्ष के साथ परामर्श तथा मुकद्दमा कार्यवाही से पूर्व किए गए निर्णय हेतु नोटिस
यदि अभियोगी को प्रतिवादी की गिरफ़्तारी की जानकारी है, तो अनुरोध करने पर, दायर किए गए आरोपों, प्रतिवादी को प्रत्यर्पित (एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने) किए जाने या न किए जाने के निर्धारण के बारे में यथोचित नोटिस दी जाए और अभियोगी एजेन्सी के साथ विचार-विमर्श करने का यथोचित मौका दिया जाए, और, अनुरोध करने पर, मुकद्दमा कार्यवाही से पूर्व यदि मामले का अंतिम निर्णय किया गया तो ऐसा किए जाने से पहले इसके बारे में सूचना और नोटिस दी जाए।

7. सार्वजनिक कार्यवाहियों के बारे में नोटिस और इनमें उपस्थिति
अनुरोध करने पर, अपचारिता कार्यवाहियों सहित उन सभी सार्वजनिक कार्यवाहियों, जिनमें प्रतिवादी और अभियोगी को प्रस्तुत होने का अधिकार है, और सभी पैरोल या अन्य दोषसिद्धि-पश्चात रिहाई कार्यवाहियों के बारे में यथोचित नोटिस दी जाए, और ऐसी सभी कार्यवाहियों में उपस्थित हो सकें।

8. अदालत की कार्यवाहियों में पेशी और विचारों की अभिव्यक्ति
अनुरोध करने पर, अपचारिता कार्यवाहियों सहित उन सभी कार्यवाहियों में सुनवाई का मौका दिया जाए, जहां गिरफ़्तारी-पश्चात रिहाई निर्णय, अभिवचन, दंडादेश, दोषसिद्धि-पश्चात रिहाई निर्णय लिया जा रहा है, या कोई ऐसी कार्यवाही जहां पीड़ित व्यक्ति के किसी अधिकार का मामला सामने आया है।

9. शीघ्र मुकद्दमा और मामले की सामयिक समाप्ति
मुकद्दमा तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और मामले को तथा निर्णय-पश्चात किन्हीं कार्यवाहियों को तेज़ी तथा अंतिम रूप से समाप्त किया जाए।

10. प्रोबेशन (परोक्षण) विभाग को सूचना देना
प्रोबेशन विभाग के किसी अधिकारी को सूचना दी जा सकती है जो दंडादेश से पहले पीड़ित व्यक्ति तथा पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर अपचार के असर के बारे में पूछताछ करता है और जो प्रतिवादी को दंडादेश दिए जाने से पहले दंड के बारे में किसी प्रकार की सिफ़ारिश देता है।

11. दंडादेश-पूर्व रिपोर्ट की प्राप्ति
प्रतिवादी को जब दंडादेश-पूर्व रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है, तो उन हिस्सों को छोड़कर जो कानून के तहत गोपनीय माने गए हैं, यह रिपोर्ट अनुरोध करने पर प्राप्त की जा सके।

12. दोषसिद्धि, दंडादेश , कैद, रिहाई, और पलायन के बारे में जानकारी
अनुरोध करने पर, प्रतिवादी की दोषसिद्धि, दंडादेश, कैद का स्थान और समय, या प्रतिवादी के लिए कोई दूसरी व्यवस्था, प्रतिवादी के रिहा होने की निर्धारित तारीख़, तथा हिरासत से रिहा होने या भाग निकलने के बारे में जानकारी दी जाए।

13. क्षतिपूर्ति का अधिकार
A. कैलिफ़ोर्निया राज्य के लोगों ने यह असंदिग्ध इरादा व्यक्त किया है कि अगर आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किन्हीं लोगों को नुकसान सहन करना पड़ा तो उन्हें उन व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति मांगने और प्राप्त करने का अधिकार है जिन्होंने उस नुकसान को उत्पन्न किया जो वह भुगत रहे हैं।
B. दोषसिद्ध अन्यायी को उस हर मामले में क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया जाए जिसमें अपराध के शिकार ने नुकसान सहन किया हो, चाहे उसपर जो भी दंड या व्यवस्था लागू की जाए।
C. जिस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया गया है, उससे जो वित्तीय भुगतान, रुपये-पैसे, और संपत्ति वसूली जाती है उसे सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति की आदेशित क्षतिपूर्ति की रकम चुकाने की ओर लगाया जाए।

14. संपत्ति को शीघ्र लौटाए जाना
सबूत के तौर पर ज़रूरत खत्म हो जाने पर संपत्ति तुरंत वापस कर दी जाए।

Kamala D. Harris
Attorney General
State of California

संसाधनों सहित Marsy का कार्ड

कैलिफ़ोर्निया संविधान, धारा 1, भाग 28(b) के तहत अपराध पीड़ित व्यक्तियों को कुछ ख़ास अधिकार सौंपे गए हैं। इनमें शामिल हैं:

1. औचित्य और सम्मान
निजता और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उनके साथ उचित और सम्मानपूर्ण बरताव किया जाए, और अपराध- या बाल-न्याय की समूची प्रक्रिया के दौरान वे किसी प्रकार की धमकी, उत्पीड़न, और दुर्व्यवहार से मुक्त हों।

2. प्रतिवादी (मुद्दालेह) से सुरक्षा
प्रतिवादी और प्रतिवादी की ओर से कार्य करने वाले लोगों से उन्हें उचित सुरक्षा दी जाए।

3. ज़मानत और रिहाई की शर्तें तय करते समय पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा का लिहाज़
प्रतिवादी के लिए ज़मानत की राशि तथा रिहाई की शर्तें तय करते समय पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार की सुरक्षा का लिहाज़ किया जाए।

4. गोपनीय जानकारी का खुलासा करने पर रोक
प्रतिवादी, प्रतिवादी के वकील और प्रतिवादी की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी गोपनीय जानकारियों तथा अभिलेखों का खुलासा न किया जाए जिनके आधार पर पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को खोजा या उत्पीड़ित किया जा सके, या जिनसे ऐसे गोपनीय संचारों का खुलासा हो जो चिकित्सकीय या सलाहकारी उपचार के दौरान किए गए थे या जो कानूनी तौर पर प्राधिकृत या गोपनीय माने गए हैं।

5. प्रतिवादी पक्ष को साक्षात्कार देने से इंकार
प्रतिवादी, प्रतिवादी के वकील और प्रतिवादी की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को साक्षात्कार देने, शपथ लेकर बयान देने, या मुकद्दमे की कार्यवाही से पहले सूचना देने के अनुरोध को इंकार किया जा सकता है, और अगर पीड़ित व्यक्ति ने किसी ऐसे साक्षात्कार के लिए मंज़ूरी दी तो इसके संचालन पर यथोचित शर्तें लगाना संभव है।

6. अभियोगपक्ष के साथ परामर्श तथा मुकद्दमा कार्यवाही से पूर्व किए गए निर्णय हेतु नोटिस
यदि अभियोगी को प्रतिवादी की गिरफ़्तारी की जानकारी है, तो अनुरोध करने पर, दायर किए गए आरोपों, प्रतिवादी को प्रत्यर्पित (एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने) किए जाने या न किए जाने के निर्धारण के बारे में यथोचित नोटिस दी जाए और अभियोगी एजेन्सी के साथ विचार-विमर्श करने का यथोचित मौका दिया जाए, और, अनुरोध करने पर, मुकद्दमा कार्यवाही से पूर्व यदि मामले का अंतिम निर्णय किया गया तो ऐसा किए जाने से पहले इसके बारे में सूचना और नोटिस दी जाए।

7. सार्वजनिक कार्यवाहियों के बारे में नोटिस और इनमें उपस्थिति
अनुरोध करने पर, अपचारिता कार्यवाहियों सहित उन सभी सार्वजनिक कार्यवाहियों, जिनमें प्रतिवादी और अभियोगी को प्रस्तुत होने का अधिकार है, और सभी पैरोल या अन्य दोषसिद्धि-पश्चात रिहाई कार्यवाहियों के बारे में यथोचित नोटिस दी जाए, और ऐसी सभी कार्यवाहियों में उपस्थित हो सकें।

8. अदालत की कार्यवाहियों में पेशी और विचारों की अभिव्यक्ति
अनुरोध करने पर, अपचारिता कार्यवाहियों सहित उन सभी कार्यवाहियों में सुनवाई का मौका दिया जाए, जहां गिरफ़्तारी-पश्चात रिहाई निर्णय, अभिवचन, दंडादेश, दोषसिद्धि-पश्चात रिहाई निर्णय लिया जा रहा है, या कोई ऐसी कार्यवाही जहां पीड़ित व्यक्ति के किसी अधिकार का मामला सामने आया है।

9. शीघ्र मुकद्दमा और मामले की सामयिक समाप्ति
मुकद्दमा तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और मामले को तथा निर्णय-पश्चात किन्हीं कार्यवाहियों को तेज़ी तथा अंतिम रूप से समाप्त किया जाए।

10. प्रोबेशन (परोक्षण) विभाग को सूचना देना
प्रोबेशन विभाग के किसी अधिकारी को सूचना दी जा सकती है जो दंडादेश से पहले पीड़ित व्यक्ति तथा पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर अपचार के असर के बारे में पूछताछ करता है और जो प्रतिवादी को दंडादेश दिए जाने से पहले दंड के बारे में किसी प्रकार की सिफ़ारिश देता है।

11. दंडादेश-पूर्व रिपोर्ट की प्राप्ति
प्रतिवादी को जब दंडादेश-पूर्व रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है, तो उन हिस्सों को छोड़कर जो कानून के तहत गोपनीय माने गए हैं, यह रिपोर्ट अनुरोध करने पर प्राप्त की जा सके।

12. दोषसिद्धि, दंडादेश , कैद, रिहाई, और पलायन के बारे में जानकारी
अनुरोध करने पर, प्रतिवादी की दोषसिद्धि, दंडादेश, कैद का स्थान और समय, या प्रतिवादी के लिए कोई दूसरी व्यवस्था, प्रतिवादी के रिहा होने की निर्धारित तारीख़, तथा हिरासत से रिहा होने या भाग निकलने के बारे में जानकारी दी जाए।

13. क्षतिपूर्ति का अधिकार
A. कैलिफ़ोर्निया राज्य के लोगों ने यह असंदिग्ध इरादा व्यक्त किया है कि अगर आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किन्हीं लोगों को नुकसान सहन करना पड़ा तो उन्हें उन व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति मांगने और प्राप्त करने का अधिकार है जिन्होंने उस नुकसान को उत्पन्न किया जो वह भुगत रहे हैं।
B. दोषसिद्ध अन्यायी को उस हर मामले में क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया जाए जिसमें अपराध के शिकार ने नुकसान सहन किया हो, चाहे उसपर जो भी दंड या व्यवस्था लागू की जाए।
C. जिस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया गया है, उससे जो वित्तीय भुगतान, रुपये-पैसे, और संपत्ति वसूली जाती है उसे सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति की आदेशित क्षतिपूर्ति की रकम चुकाने की ओर लगाया जाए।

14. संपत्ति को शीघ्र लौटाए जाना
सबूत के तौर पर ज़रूरत खत्म हो जाने पर संपत्ति तुरंत वापस कर दी जाए।

Hindi

15. पैरोल (शर्त के अधीन रिहाई) की कार्यवाहियों और पैरोल पर रिहा किए जाने की नोटिस

पैरोल संबंधी सभी कार्यवाहियों के बारे में सूचना दी जाए, पैरोल प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार हो, अपराधी को पैरोल पर रिहा करने से पहले पैरोल प्राधिकरण के विचार हेतु जानकारी दी जा सके, और अनुरोध करने पर, अपचारी की पैरोल या अन्य किसी रिहाई के बारे में सूचित किया जाए।

16. पैरोल पर रिहाई के फ़ैसले में पीड़ित व्यक्ति और जनता की सुरक्षा पर ध्यान

पीड़ित व्यक्ति, उसके परिवार तथा आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही पैरोल पर या फ़ैसला-पश्चात रिहाई संबंधी कोई निर्णय लिया जाए।

17. इन 16 अधिकारों के बारे में जानकारी

अनुच्छेद (1) से लेकर (16) में बताए गए अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए।

Attorney General's Victims' Services Unit (एटॉर्नी जनरल की पीड़ित व्यक्तियों हेतु सेवाएं इकाई) – अपराध के शिकार बने लोगों को स्थानीय पीड़ित व्यक्ति/गवाह संबंधी जानकारी, भौगोलिक संसाधन संबंधी जानकारी तथा अपील की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अपने स्थानीय पीड़ित व्यक्ति गवाह सहायता केन्द्र के बारे में संसाधनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए या अपील की स्थिति के बारे में अधिसूचना प्राप्त करने के लिए, **1-877-433-9069** पर संपर्क करें। Marsy के कानून के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, एटॉर्नी जनरल की वेबसाइट पर जाएं:

www.ag.ca.gov/victimservices

****

अतिरिक्त संसाधन

ध्यान दें कि एटॉर्नी जनरल इन संस्थाओं तथा एजेंसियों के नज़रिए, इनकी सेवाओं तथा दी गई जानकारी के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं और न ही इनपर उनका कोई नियंत्रण है।

Victim Compensation Program (पीड़ित व्यक्ति मुआवज़ा कार्यक्रम) – हमला, नशे में गाड़ी चलाना, लैंगिक हमला, बाल उत्पीड़न, नरहत्या, दबे पांव पीछा करना, घरेलू हिंसा, डकैती, मानव तस्करी आदि से पीड़ित लोगों के लिए सहायता। पीड़ित व्यक्ति मुआवज़ा से मानसिक स्वास्थ्य काउंसेलिंग, अंतिम संस्कार के खर्चों, अपराध स्थल की साफ़-सफ़ाई, पुनर्वास, मेडिकल तथा दंत सेवा बिलों की अदायगी में मदद मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय गवाह या पीड़ित व्यक्ति मुआवज़ा और सरकारी क्लेम्स बोर्ड से **1-800-777-9229** पर संपर्क करें।

www.vcgcb.ca.gov/victims

CA Dept. of Corrections and Rehabilitation, Office of Victim & Survivor Rights & Services (कैलिफ़ोर्निया कैद तथा बहाली विभाग, पीड़ित व्यक्ति व उत्तरजीवी अधिकार व सेवाएं कार्यालय) – अपराधी की रिहाई, क्षतिपूर्ति, पैरोल की शर्तें तथा पैरोल की सुनवाईयों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जब अपराधी कैद में होता है।

1-877-256-6877 *www.cdcr.ca.gov/victim_services*

McGeorge School of Law - Victims of Crime Resource Center (मेकजॉर्ज स्कूल ऑफ़ लॉ - अपराध पीड़ित व्यक्तियों हेतु संसाधन केन्द्र) – पीड़ित व्यक्तियों को उनके स्थान के अनुसार क्षतिपूर्ति, दीवानी मुकद्दमों, घरेलू हिंसा, बुज़ुर्ग उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न, अशक्त व्यक्ति उत्पीड़न, पीड़ितों के अधिकार और मुआवज़े के बारे में संसाधन प्राप्त कराता है।

1-800-Victims *www.1800victims.org*

National Domestic Violence Hotline (राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हॉटलाइन) – घरेलू हिंसा के संसाधनों के लिए 24 घंटे की हॉटलाइन। **1-800-799-SAFE** **TTY: 1-800-787-3224** *www.ndvh.org*

Adult Protective Services County Contact Information (वयस्क रक्षात्मक सेवाएं काउंटी संपर्क जानकारी - बुज़ुर्ग उत्पीड़न) – इस वेबसाइट पर कैलिफ़ोर्निया के प्रत्येक काउंटी के लिए 24 घंटे के हॉटलाइन नंबर उपलब्ध हैं।

www.cdss.ca.gov/agedblinddisabled/PG2300.htm

National Child Abuse Hotline (राष्ट्रीय बाल उत्पीड़न हॉटलाइन) – बाल उत्पीड़न का इलाज और निवारण।

1-800-4-A-CHILD *www.childhelp.org/pages/hotline-services*

Rape, Abuse & Incest National Network Hotline (बलात्कार, उत्पीड़न व व्यभिचार हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क हॉटलाइन) – लैंगिक हमले के शिकार बने लोगों को मुफ़्त व गोपनीय सेवाएं प्रदान करती है।

1-800-656-HOPE *www.rainn.org*

National Human Trafficking Resource Center Hotline (राष्ट्रीय मानव तस्करी संसाधन केन्द्र हॉटलाइन) – सुराग देने, स्थानीय गैर-तस्करी सेवाओं से संपर्क करने तथा जानकारी मांगने के लिए 24 घंटे की हॉटलाइन।

1-888-373-7888 *www.traffickingresourcecenter.org*

The California Relay Service (कैलिफ़ोर्निया रीले सेवाएं): मूक, बधिर या सुनने में तकलीफ महसूस करने वाले लोगों के लिए: **डायल करें 711। TTY/HCO/VCO से अंग्रेज़ी ध्वनि के लिए:** 1-800-735-2929 **और स्पैनिश के लिए:** 1-800-855-3000। **ध्वनि से TTY/VCO/HCO अंग्रेज़ी के लिए:** 1-800-735-2922 **और स्पैनिश के लिए:** 1-800-855-3000। **ध्वनि से ध्वनि - अंग्रेज़ी और स्पैनिश:** 1-800-854-7784.

****

कैलिफ़ोर्निया संविधान के तहत 'पीड़ित व्यक्ति' वह है "जो किसी अपराध या दोषी कार्रवाई के होने या इनके प्रयास किए जाने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से शारीरिक, मानसिक या वित्तीय नुकसान सहता है। 'पीड़ित व्यक्ति' के अंतर्गत उस व्यक्ति के पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन, या अभिभावक भी शामिल किए जाते हैं और किसी मृत, नाबालिग़, या शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त पीड़ित व्यक्ति के कानून प्रतिनिधि को भी। 'पीड़ित व्यक्ति' की परिभाषा में वह व्यक्ति शामिल नहीं किया जाता है जो किसी दोष के लिए हिरासत में है, अभियुक्त है या जिसे अदालत ने पाया कि वह नाबालिग़ पीड़ित के हित में कार्य नहीं करेगा।" (कैलिफ़ोर्निया संविधान, धारा I, § 28(e))।

पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति का निर्धारित वकील, पीड़ित व्यक्ति का कानूनन प्रतिनिधि, या पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर अभियोक्ता उस मामले पर न्यायाधिकार रखने वाले किसी ट्रायल कोर्ट या अपील कोर्ट में एक हक के तौर पर उपरोक्त अधिकारों का प्रवर्तन कर सकता है। अदालत ऐसे अनुरोध पर शीघ्र कार्रवाई करेगी। (कैलिफ़ोर्निया संविधान, धारा I, § 28(c)(1))।

Victims' Services Unit (पीड़ित व्यक्तियों हेतु सेवाएं इकाई) जून, 2012

Funding is made possible through the United States Department of Justice, Victims of Crime Act, 2011-VW-GX-0028

15. पैरोल (शर्त के अधीन रिहाई) की कार्यवाहियों और पैरोल पर रिहा किए जाने की नोटिस

पैरोल संबंधी सभी कार्यवाहियों के बारे में सूचना दी जाए, पैरोल प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार हो, अपराधी को पैरोल पर रिहा करने से पहले पैरोल प्राधिकरण के विचार हेतु जानकारी दी जा सके, और अनुरोध करने पर, अपचारी की पैरोल या अन्य किसी रिहाई के बारे में सूचित किया जाए।

16. पैरोल पर रिहाई के फ़ैसले में पीड़ित व्यक्ति और जनता की सुरक्षा पर ध्यान

पीड़ित व्यक्ति, उसके परिवार तथा आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही पैरोल पर या फ़ैसला-पश्चात रिहाई संबंधी कोई निर्णय लिया जाए।

17. इन 16 अधिकारों के बारे में जानकारी

अनुच्छेद (1) से लेकर (16) में बताए गए अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए।

Attorney General's Victims' Services Unit (एटॉर्नी जनरल की पीड़ित व्यक्तियों हेतु सेवाएं इकाई) – अपराध के शिकार बने लोगों को स्थानीय पीड़ित व्यक्ति/गवाह संबंधी जानकारी, भौगोलिक संसाधन संबंधी जानकारी तथा अपील की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अपने स्थानीय पीड़ित व्यक्ति गवाह सहायता केन्द्र के बारे में संसाधनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए या अपील की स्थिति के बारे में अधिसूचना प्राप्त करने के लिए, **1-877-433-9069** पर संपर्क करें। Marsy के कानून के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, एटॉर्नी जनरल की वेबसाइट पर जाएं:

www.ag.ca.gov/victimservices

****

अतिरिक्त संसाधन

ध्यान दें कि एटॉर्नी जनरल इन संस्थाओं तथा एजेंसियों के नज़रिए, इनकी सेवाओं तथा दी गई जानकारी के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं और न ही इनपर उनका कोई नियंत्रण है।

Victim Compensation Program (पीड़ित व्यक्ति मुआवज़ा कार्यक्रम) – हमला, नशे में गाड़ी चलाना, लैंगिक हमला, बाल उत्पीड़न, नरहत्या, दबे पांव पीछा करना, घरेलू हिंसा, डकैती, मानव तस्करी आदि से पीड़ित लोगों के लिए सहायता। पीड़ित व्यक्ति मुआवज़ा से मानसिक स्वास्थ्य काउंसेलिंग, अंतिम संस्कार के खर्चों, अपराध स्थल की साफ़-सफ़ाई, पुनर्वास, मेडिकल तथा दंत सेवा बिलों की अदायगी में मदद मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय गवाह या पीड़ित व्यक्ति मुआवज़ा और सरकारी क्लेम्स बोर्ड से **1-800-777-9229** पर संपर्क करें।

www.vcgcb.ca.gov/victims

CA Dept. of Corrections and Rehabilitation, Office of Victim & Survivor Rights & Services (कैलिफ़ोर्निया कैद तथा बहाली विभाग, पीड़ित व्यक्ति व उत्तरजीवी अधिकार व सेवाएं कार्यालय) – अपराधी की रिहाई, क्षतिपूर्ति, पैरोल की शर्तें तथा पैरोल की सुनवाईयों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जब अपराधी कैद में होता है।

1-877-256-6877 *www.cdcr.ca.gov/victim_services*

McGeorge School of Law - Victims of Crime Resource Center (मेकजॉर्ज स्कूल ऑफ़ लॉ - अपराध पीड़ित व्यक्तियों हेतु संसाधन केन्द्र) – पीड़ित व्यक्तियों को उनके स्थान के अनुसार क्षतिपूर्ति, दीवानी मुकद्दमों, घरेलू हिंसा, बुज़ुर्ग उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न, अशक्त व्यक्ति उत्पीड़न, पीड़ितों के अधिकार और मुआवज़े के बारे में संसाधन प्राप्त कराता है।

1-800-Victims *www.1800victims.org*

National Domestic Violence Hotline (राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हॉटलाइन) – घरेलू हिंसा के संसाधनों के लिए 24 घंटे की हॉटलाइन। **1-800-799-SAFE** **TTY: 1-800-787-3224** *www.ndvh.org*

Adult Protective Services County Contact Information (वयस्क रक्षात्मक सेवाएं काउंटी संपर्क जानकारी - बुज़ुर्ग उत्पीड़न) – इस वेबसाइट पर कैलिफ़ोर्निया के प्रत्येक काउंटी के लिए 24 घंटे के हॉटलाइन नंबर उपलब्ध हैं।

www.cdss.ca.gov/agedblinddisabled/PG2300.htm

National Child Abuse Hotline (राष्ट्रीय बाल उत्पीड़न हॉटलाइन) – बाल उत्पीड़न का इलाज और निवारण।

1-800-4-A-CHILD *www.childhelp.org/pages/hotline-services*

Rape, Abuse & Incest National Network Hotline (बलात्कार, उत्पीड़न व व्यभिचार हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क हॉटलाइन) – लैंगिक हमले के शिकार बने लोगों को मुफ़्त व गोपनीय सेवाएं प्रदान करती है।

1-800-656-HOPE *www.rainn.org*

National Human Trafficking Resource Center Hotline (राष्ट्रीय मानव तस्करी संसाधन केन्द्र हॉटलाइन) – सुराग देने, स्थानीय गैर-तस्करी सेवाओं से संपर्क करने तथा जानकारी मांगने के लिए 24 घंटे की हॉटलाइन।

1-888-373-7888 *www.traffickingresourcecenter.org*

The California Relay Service (कैलिफ़ोर्निया रीले सेवाएं): मूक, बधिर या सुनने में तकलीफ महसूस करने वाले लोगों के लिए: **डायल करें 711। TTY/HCO/VCO से अंग्रेज़ी ध्वनि के लिए:** 1-800-735-2929 **और स्पैनिश के लिए:** 1-800-855-3000। **ध्वनि से TTY/VCO/HCO अंग्रेज़ी के लिए:** 1-800-735-2922 **और स्पैनिश के लिए:** 1-800-855-3000। **ध्वनि से ध्वनि - अंग्रेज़ी और स्पैनिश:** 1-800-854-7784.

****

कैलिफ़ोर्निया संविधान के तहत 'पीड़ित व्यक्ति' वह है "जो किसी अपराध या दोषी कार्रवाई के होने या इनके प्रयास किए जाने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से शारीरिक, मानसिक या वित्तीय नुकसान सहता है। 'पीड़ित व्यक्ति' के अंतर्गत उस व्यक्ति के पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन, या अभिभावक भी शामिल किए जाते हैं और किसी मृत, नाबालिग़, या शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त पीड़ित व्यक्ति के कानून प्रतिनिधि को भी। 'पीड़ित व्यक्ति' की परिभाषा में वह व्यक्ति शामिल नहीं किया जाता है जो किसी दोष के लिए हिरासत में है, अभियुक्त है या जिसे अदालत ने पाया कि वह नाबालिग़ पीड़ित के हित में कार्य नहीं करेगा।" (कैलिफ़ोर्निया संविधान, धारा I, § 28(e))।

पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति का निर्धारित वकील, पीड़ित व्यक्ति का कानूनन प्रतिनिधि, या पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर अभियोक्ता उस मामले पर न्यायाधिकार रखने वाले किसी ट्रायल कोर्ट या अपील कोर्ट में एक हक के तौर पर उपरोक्त अधिकारों का प्रवर्तन कर सकता है। अदालत ऐसे अनुरोध पर शीघ्र कार्रवाई करेगी। (कैलिफ़ोर्निया संविधान, धारा I, § 28(c)(1))।

Victims' Services Unit (पीड़ित व्यक्तियों हेतु सेवाएं इकाई) जून, 2012

Funding is made possible through the United States Department of Justice, Victims of Crime Act, 2011-VW-GX-0028